

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/49/2011

दर्ज दिनांक:-13.07.2011

1. दुर्गी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. शिवसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

महेश चन्द

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-02.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट इकरन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी/तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 02.03.2018 के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी का पूर्व में ही विभाजन होकर अमल में जमाबंदी में आ चुका है। प्रस्तुत दावा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है। कि:-

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर